

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्या:-390/2013 (2013/00120)

1. रामराज पुत्र रायमल
2. चम्पा लाल पुत्र सुखा दोनो जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम



1. मितठू
2. बन्ना
3. गोपाल पुत्रगण बालू जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर ।
4. मेवा पुत्र भागीरथ
5. जगदीश पुत्र भागीरथ
6. जगदीश पुत्र रायमल
7. रामदेव पुत्र लादू
8. मधुड़ा पुत्री हंसराज
9. किशनलाल पुत्र सुखा
10. शिवराज पुत्र सुखा सभी जाति जाट निवासीगण रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़ ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 04.06.2012 अंतर्गत वाद संख्या 200/2009.

उपस्थित:-

1. श्री शिव प्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांटस ।
2. श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 05, 7.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 11.
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 8 से 10 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक:- 28.06.2022.

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.06.2012 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण और प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त स्वागित्व की आराजीयात खाता संख्या 43 के खसरा नम्बर 119 रकबा 116--06--00 बीघा, खसरा नम्बर 120 रकबा 02--08--00 बीघा, खसरा नम्बर 121 रकबा 67--08--00 बीघा वाके ग्राम चकवी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में स्थित है। इस आराजी में वादीगण का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 व

राजस्थान अपील प्राधिकारी
अजमेर



6 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 से 09 का 1/6 हिस्सा है और लिखित राजरा के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिकार चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात में सहवन से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम के स्थान पर रायमल पुत्र भागीरथ के नाम इन्द्राज कर दिया गया है, जबकि बिना किसी आधार के राजस्व अधिकारियों द्वारा गिली भगत करके भागीरथ पुत्र छीतर का नाम विलोपित कर दिया गया है, जो कतई गलत अवैध एवं कानून के विपरीत है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर वाद वर्णित आराजी का वंटवारा किया जावेँ मौके पर अलग-अलग नापकर संग्रहायी जावेँ व राजस्व रिकार्ड अलग-अलग बनाया जाकर माल गुजारी क्राईम की जावेँ। राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज की जानकारी नकले लेने पर हुई है। वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 15.02.2009 को हुआ और प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। अतः वादीगण का वादग्रस्त आराजी का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 02 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को 1/6 हिस्सा का व प्रतिवादी संख्या 5 को 1/3 और प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9, 10 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वंटवारा किया जाकर मौके पर अलग-अलग नाप कर सम्भालाई जावेँ व अलग-अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर माल गुजारी कायम की जावेँ और प्रतिवादीगण को जरिये निषेधाज्ञा पावंद किया जावेँ कि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के 1/6 हिस्से में कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र को रजिस्टर कर पश्चात सुनवाई कर दिनांक 04.06.2012 को डिक्री प्रारम्भिक जारी कर दी गई। जिससे अपीलांटस ने असंतुष्ट होकर यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षी के वाद को कोई नोटिस अपीलांट पर तामील नहीं करवाया व विपक्षी वादी ने अन्य प्रतिवादीगण के साथ अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर करवा कर दौलत सिंह व रमेश मीणा का वकालतनामा पेश करवाया व उनके द्वारा इकवाल जवाब दावा प्रस्तुत करवा कर गलत तौर पर प्रारम्भिक व अंतिम डिक्री तैयार करवा ली जिसका इल्म अपीलांट को जमाबंदी पर नोट लगाने पर पटवारी हल्का के कहने से दिनांक 26.08.2013 को मालूम पड़ा तब अपीलांट दिनांक 27.08.2013 को उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में जाकर मालूमात की व उसी रोज नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 29.08.2013 को दावे की नकलें प्राप्त की तत्पश्चात कानूनी राय लेकर फीस आदि का प्रबन्ध कर प्रार्थीगण दिनांक 09.09.2013 को अजमेर आये व अजमेर में अभिभाषक नियुक्त कर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष तारीख जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपीलांट की अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को मेरिट पर सुनवाई किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश प्रदान करावेँ।

Jhm
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

5. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि आराजी मुतनाजा पक्षकारान की खरीदशुदा भूमि है, जिसे वादीगण ने बिना किसी आधार के पैतृक सम्पत्ति बताकर वाद प्रस्तुत किया है जबकि आराजी मुतनाजा पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति न होकर खरीद के आधार पर खातेदारी दर्ज की गई है व वादीगण ने अपने वाद में गलत सजरा पेश किया है भागीरथ पुत्र छीतर का परिवार अलग परिवार है, जिनका गौत्र भिजानिया है व अपीलांट रामराज व जगदीश के दादा भागीरथ का गौत्र माटू है। अतः वादीगण ने गलत तौर पर भागीरथ के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 मेवा व जगदीश का नाम 1/6 भाग पर दर्ज करने की प्रार्थना की है जो बिना किसी आधार के स्वीकार की जाकर प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है, अधीनस्थ न्यायालय को बिना किसी ठोस आधार के जमाबंदी के इन्द्राज में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के असत्य कथनों पर फर्जी इकबाल के आधार पर दावा डिक्री करने की भारी त्रुटि कारित की है। वादीगण को प्रतिवादी की पैरवी करने का कोई अधिकार नहीं है वादीगण जो की बालू की संतान है, उन्होंने बिना वजह अपने वाद में प्रतिवादी मेवा व जगदीश को आराजी मुतनाजा के 1/6 भाग का खातेदार घोषित करने की प्रार्थना की है जबकि मेवा व जगदीश की ओर से कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है, उसके बावजूद भी वादीगण के वाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित करने की डिक्री पारित कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण को नोटिस की कोई तामील करवाये बिना अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण के फर्जी हस्ताक्षर से दौलत सिंह व रमेश मीणा का संयुक्त वकालतनामा पेश करवा कर तथ्यों के विपरीत इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत करवा दिया व वादीगण का वाद किसी भी प्रकार से सिद्ध न होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने इकबाल जवाब दावे के आधार पर वादीगण के वाद को डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। वकील दौलत सिंह ने फर्जी अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर कर दिनांक 27.02.2009 को उक्त वकालतनामा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष पेश किया, जिस बाबत् सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। मेवा व जगदीश पुत्र भागीरथ का आराजी मुतनाजा पर कोई कब्जा आज दिनांक तक नहीं है व न ही उन्होंने दावा प्रस्तुत कर कोई दुरुस्ती ही चाही है, ऐसी स्थिति में बालू के वारिसान द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 को खातेदार घोषित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.06.2012 को न्यायहित में निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान करावें।

6.

विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 5, 7 ने दौराने जवाब बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित कथन असत्य, मनगढ़त तथा विल्कुल मिथ्या होकर अस्वीकार है। दिनांक 04.06.2012 को उभयपक्ष अभिभाषकगण की उपस्थिति में प्राथमिक आज्ञाप्ति जारी की गई है, अभिभाषक की जानकारी पक्षकार की जानकारी होती है जिससे बरवक्त प्राथमिक आज्ञाप्ति की पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद 15



Shun
राजस्थान हाईकोर्ट
अजमेर

माह बाद अपील पेश की है तथा कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये हैं जिससे समस्त तथ्य काल्पनिक एवं मिथ्या अंकित है। शेष प्रार्थना है जो पाने के अधिकारी नहीं होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 5, 7 ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि आराजीयात में वादीगण/रेस्पोजेन्ट संख्या 1 से 3 का 1/6 हिस्सा व हक अधिकार चला आ रहा है एवं अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे थे, सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम के स्थान पर रायमल पुत्र भागीरथ के नाम इन्द्राज कर दिया गया है जबकि बिना किसी आधार के राजस्व अधिकारियों द्वारा मिली भगत करके भागीरथ पुत्र छीतर के नाम विलोपित कर दिया गया है, जिसे दुरुस्त करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश किया गया तत्पश्चात वाद पत्र को स्वीकार किया गया तथा किसी तरह का अतिरिक्त कथन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गई है। प्रतिवादीगण के नोटिस स्वयं या परिवार के सदस्य द्वारा तामील करवाई गई है। अभिभाषक की जानकारी पक्षकार की जानकारी होती है। जगदीश द्वारा शपथ-पत्र में दावा एडमिट किया है, जगदीश द्वारा बयानों में भी स्वीकार किया गया। फर्जी हस्ताक्षर बाबत् एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गई उस पर एफ0आर0 लग चुकी है। विवादित भूमि एकीकरण सम्वत 2021-24 ग्राम चकवी का खाता संख्या 06 वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वजो की पायी गयी है। जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 के मुताबिक रिकार्ड सही था बाद भू-प्रबन्ध रिकार्ड गलत दर्ज हो गया। भूमि की किरम, कृषको के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियाँ परिवर्तित करने का सैटलमेन्ट विभाग को अधिकार नहीं है, किसी भी व्यक्ति पर खातेदारी अधिकार प्रदाचन करने का उसे अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज फरमायी जावें। अभिभाषक रेस्पोजेन्टस ने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1993 पेज 44, आर.आर.टी. 2001(1) पेज 244, आर.आर.टी. 2008(1) पेज 151 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं।

8. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते हैं। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये हैं वे संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। हम न्यायहित में अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते हैं। अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में निर्णय व प्राथमिक डिक्री को विधि विरुद्ध होना बताया है किन्तु किस कारण से विधि विरुद्ध होकर निरस्तनीय है इस संबंध में अपील मीमों में कोई उल्लेख नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का





Jhm
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर



शुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का उल्लेख किया है एवं आराजी गुतनाजा पक्षकारान की खरीदशुदा भूमि बताया गया है इस सम्बन्ध में दरतावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने से उसके हक अधिकार किरा प्रकार प्रभावित हुए है इसे सिद्ध करने की जिम्मेदारी अपीलांट की है किन्तु अपीलांट ने इस संबंध में कोई दरतावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.06.2012 में किरा प्रकार के हरतक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, चूंकि जाप्ता दीवानी की धारा 99 में स्पष्टतया उल्लेख है कि कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न उलटी जायेगी और ना ही उपातरित की जायेगी इसलिए अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पायी जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.06.2012 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

11. निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सारे इजलास सुनाया गया ।


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपीलांत प्राधिकारी,
अजमेर


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपीलांत प्राधिकारी,
अजमेर